संख्या-77/2025/।/919545/2025/71-1002/69/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 27 मार्च, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत 15 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से हस्तांरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2024-25/667, दिनांक 19.03.2025 एंव पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2024-25/720, दिनांक 25.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (नर्सिंग अनुभाग) भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-जेड.28015/89/2023-एन, दिनांक 05.03.2025 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना " Augmenting Nursing Education-Establishment of new College of Nursing (CoN) in co-location with Medical College" के अंतर्गत प्रदेश के 15 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रांश के रूप में द्वितीय एंव अंतिम किश्त के रूप में रू0 76.00 करोड (प्रति नर्सिंग कालेज रू0 4.00 करोड़) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना " Augmenting Nursing Education-Establishment of new College of Nursing (CoN) in co-location with Medical College" के अंतर्गत **प्रदेश के 15 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-01-28- राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्त शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.) मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार **कुल रू0 10000.05 लाख (केन्द्रांश रू0 6000.00 लाख व राज्यांश रू0 4000.05 लाख) (रू0 एक अरब पांच हजार मात्र)** की धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर रक्षित किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रू0 करोड़ में)

क्र 0	ए0एस0एम0सी0 का नाम	भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.03.2025 द्वारा स्वीकृत धनराशि (केन्द्रांश)	देय समतुल्य राज्यांश	अवमुक्त किये जाने वाली धनराशि
1	Basti	4.00	2.6667	6.6667
2	Ayodhya	4.00	2.6667	6.6667
3	Bahraich	4.00	2.6667	6.6667
4	Firozabad	4.00	2.6667	6.6667
5	Shahjahanpur	4.00	2.6667	6.6667
6	Hardoi	4.00	2.6667	6.6667
7	Etah	4.00	2.6667	6.6667
8	Siddharth Nagar	4.00	2.6667	6.6667
9	Pratapgarh	4.00	2.6667	6.6667
10	Gazipur	4.00	2.6667	6.6667
11	Meerzapur	4.00	2.6667	6.6667
12	Bijnor	4.00	2.6667	6.6667
13	Sultanpur	4.00	2.6667	6.6667
14	Lalitpur	4.00	2.6667	6.6667
15	Kushinagar	4.00	2.6667	6.6667
Total		**60. 00**	**40.0005**	**100.0005**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. प्रायोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,00,00,05,000 (रूपये एक अरब पांच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050128 राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्त शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.) मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के एफआईआरएमएस सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-501/दस-2024-25, दिनांक 26 मार्च 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (नर्सिंग अनुभाग) भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-जेड.28015/89/2023-एन, दिनांक 05.03.2025 के सदंर्भ में।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती/अयोध्या/बहराइच/फिरोजाबाद /शाहजहॉपुर/हरदोई/एटा/सिद्धार्थनगर/प्रतापगढ़/गाजीपुर/मीरजापुर/बिजनौर/सुल्तानपुर ललितपुर/कुशीनगर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in